

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष न.: 0141-2711978, 2711938

क्रमांक :एफ2(9)/अ.स.नि.दे/कन्या छात्रा.संचालन/2010-2011/पार्ट 2016-17/

जयपुर,दिनांक :

कार्यालय आदेश

सत्र 2017-18 की अवधि में अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रावासों (राजकीय/अनुदानित) का सत्रावसान 15 मई, 2018 होगा। लेकिन इन छात्रावासों का सत्रावसान होने के पश्चात् भी कुछ आवासरत छात्र/छात्राओं की वार्षिक परीक्षाएं माह जून 2018 तक जारी रहने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसे छात्रावासों के सत्रावसान की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, परन्तु इस हेतु संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसे छात्रावासों में आवासरत प्रत्येक छात्र/छात्राओं के शिक्षण संस्थानों के द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम (Date Sheet) की प्रमाणित प्रति एवं उसके आधार पर आवासियों की सूची सहित निदेशालय को 30 अप्रैल, 2018 तक (ई-मेल द्वारा) एवं डाक द्वारा भी आवश्यक रूप से भिजवाएँ।


हं।

(अनीता मीना)

अतिरिक्त निदेशक,

क्रमांक:एफ2(9)/अ.स.नि.दे/कन्या छात्रा.संचालन/2010-2011/पार्ट 2016-17/6080-6/25 जयपुर,दिनांक: 13-4-2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रमुख, सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
4. जिलाकलेक्टर, अजमेर/अलवर/बारां/बाडमेर/भरतपुर/भीलवाड़ा/बीकानेर/चूरू/दौसा/हनुमानगढ़/जयपुर/जैसलमेर/जोधपुर/नागौर/कोटा/प्रतापगढ़/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/सिरोही/टोंक।
5. जिलाअल्पसंख्यककल्याणअधिकारी, अल्पसंख्यकमामलात, अजमेर/अलवर/बारां/बाडमेर/भरतपुर/भीलवाड़ा/बीकानेर/चूरू/दौसा/हनुमानगढ़/जयपुर/जैसलमेर/जोधपुर/नागौर/कोटा/प्रतापगढ़/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/सिरोही/टोंक।
6. संबंधित राजकीय हॉस्टल वार्डन/स्वयं सेवी/शिक्षण संस्थाएँ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात, कार्यालय हाजा।
8. सहायक निदेशक (चतुर्थ), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक